an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Rights of Transgender Persons Bill, 2014, as passed by Rajya Sabha, moved by Shri Baijayant Panda (Discussion not concluded).

HON. CHAIRPERSON : Now, the House shall take up Item No. 65 – further consideration of the following motion moved by Shri Baijayant Panda on 26th February, 2016 namely:-

> "That the Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons and for their welfare to be undertaken by the State and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री वीरेन्द्र कश्यप - अनुपस्थित।

श्री अजय मिश्रा टेनी।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, जिसको 24 अप्रैल, 2015 को राज्य सभा में पारित किया गया था, आज विचार के लिए लोक सभा में लाया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऐसे हमारे ट्रांस जैंडर भाई-बहनों को समता का अधिकार दिलाना, शिक्षा का अधिकार दिलाना, समुदाय में रहने का अधिकार उनको मिले, यातना और निर्दयतापूर्वक जो उनके साथ व्यवहार होता है, उस व्यवहार से उनकी रक्षा की जा सके और घर परिवार का अधिकार उनको भी प्राप्त हो, यह इस विधेयक का उद्देश्य है।

15.56 hours (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, इसमें ट्रांस जेंडर के लिए लिखा है, विपरीत लिंगी, क्या यह अनुवाद, जो इसका किया गया है, यह ठीक है। पहले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि विपरीत लिंगी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इस विÂषय पर अगर सही मायने में हम किसी...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इसमें मैं शंका का समाधान कर दूं। यह राज्य सभा से आया है, वहीं से लिखा हुआ आया है और हम इसमें संशोधन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राज्य सभा से आया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर उचित निर्णय लें, क्योंकि विपरीत लिंगी, जिनके लिए हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वह विपरीत लिंगी पर आएगा तो ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे जो कहना चाहें, कह देंगे।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I am on a point of order. This issue was raised when the first time this Bill was discussed in this House by the hon. Member from Cuttack and this issue has been discussed. Technically, since it is not a Bill that was drafted for this House, it was communicated after its passage from the Other House, that is why it has been carried forward with the same terminology. Otherwise, I think, we all agree that, perhaps, a different terminology would be better suited. But I do not think, we should intervene in the *parampara* of two Houses and find technical faults with a Bill that has been passed and come here.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति जी, अगर इसमें कुछ गलती हुई है...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): जो राज्य सभा ने एक बार तय किया है, इसमें हम ऑलरेडी आधे से ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अभी तो उसी बिल पर, उसी भाÂषा पर चर्चा होगी, वही टर्मिनोलोजी रहेगी, बाद में चर्चा के बाद देखेंगे कि मंत्री जी क्या जवाब देते हैं।

माननीय सभापति : इसमें भाव वही रखें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मेरा मकसद सिर्फ आपके ध्यान में लाना था कि यह गलत लिखा गया है और सही मायने में अगर हमे इस वर्ग के लिए कुछ करना है तो कम से कम इसका अनुवाद पहले सही किया जाये, उसके बाद आगे बढ़ा जाये।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मैं अनुराग ठाकुर जी की भावना से सहमत हूं और वास्तव में कहीं न कहीं यह हुआ है और इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जैसी भी यहां की व्यवस्था होगी, उसके अनुसार होगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, जिसको 24 अप्रैल, 2015 को राज्य सभा के द्वारा पारित किया गया था और अब यहां विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऐसे वर्ग को, जो ट्रांस जेंडर श्रेणी में आते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, शिक्षा, ऐसे उनको अधिकार मिलें, सम्पूर्णता का उनको एहसास हो और जैसा उनके साथ यातनापूर्ण और निर्दयतापूर्वक व्यवहार होता है, उससे उनको बचाया जा सके। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोÂषण से बचाकर घर परिवार का अधिकार उनको दिया जाये, समाज में रहने का अधिकार उनको भी प्राप्त हो, यह इस बिल का उद्देश्य था और वास्तव में 24 अप्रैल, 2015 को भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना हुई, जब राज्य सभा में एक प्राइवेट मैम्बर बिल को ध्वनि मत से पूरे सदन ने पारित किया। उसके पीछे निश्चित रूप से दूमुक के श्री टी.शिवाजी यह बिल लेकर 2014 में आये थे और उसके पीछे पीड़ा थी कि दुनिया के बाकी 29 देश ऐसे हैं, जहां पर ट्रांस जेंडर लोगों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये गये हैं, परन्तु हमारे देश में कोई कानून नहीं है, जबकि हमारे यहां जो लिखा-पढ़ी में है, ऐसी लगभग चार से पांच लाख की संख्या ट्रांस जेंडर्स की है, लेकिन जो अतिरिक्त जानकारियां हैं, उनके अनुसार यह संख्या 20 से 25 लाख के करीब है।

16.00 hours

निश्चित रूप से इनके लिए कुछ न कुछ काम होना चाहिए। जब 24 अप्रैल, 2015 को बिल पास हुआ, उससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई-बहन हैं, उनके लिए दिया है। अक्टूबर, 2012 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और अपील की थी कि देश में किन्नरों को समान अधिकार और सुरक्षा दी जाए। उसी में बहस हुई थी और बहस के बाद दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई थी। 29 अक्टूबर, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। उन्होंने 14 अप्रैल, 2015 को यह निर्णय दिया और उसके बाद राज्य सभा में भी यह बिल पास हुआ। वास्तव में जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं या जो यह वर्ग है, उसमें उनका कोई दोÂष नहीं होता है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। जिस तरीके से महिला और पुरूÂष होते हैं, वैसे ही यह एक तीसरी श्रेणी है ट्रांसजेंडर्स की, जिसमें उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं

होती है। प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर जिस तरीके से गर्भाधान होता है, उसमें कुछ वैज्ञानिक बातें आती हैं, जिसमें एक्स और वाई क्रिम्ब सम्पर्क में होते हैं, उनके आधार पर पुरूÂष और महिला के साथ-साथ ट्रांसजेंडर्स का भी जन्म होता है। वास्तव में वे इज्जत के साथ जी सकें, इसकी आवश्यकता थी और यह हमारे समाज को भी करना चाहिए था।

मेरी जानकारी है कि सन् 1871 से पहले किन्नरों को समाज में रहने का अधिकार प्राप्त था। वे घरों में भी रहते थे और सम्मान उनको प्राप्त था। वÂर्ष 1871 में, जब अंग्रेजों का यहां पर राज था, तब अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स नाम की जनजाति की श्रेणी में डाल दिया। बाद में जब हिंदुस्तान हुआ, नया संविधान बना, तो वÂर्ष 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइबल्स से निकाल दिया गया। उस श्रेणी से तो उनको निकाल दिया, लेकिन जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, वे उनको नहीं मिले। उसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जाते रहे। इस समाज में हम लोग देखते थे, उन्हीं के माता पिता होते हैं, जो विक्लांग बच्चों को तो पूरे जीवन भर पालते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो ट्रांसजेंडर श्रेणी में आते थे, उनको एक वर्ग विशेÂष आता था और जैसे ही उनको यह जानकारी होती थी कि इनके परिवार में इस तरीके का बच्चा है तो वे उसको लेकर अपने साथ चले जाते थे। यह एक परम्परा बन गई थी कि वे नाच-गाने का काम करेंगे, शादी-ब्याह में इस तरीके के काम करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में वे धीरे-धीरे पिछड़ते चले गए।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, three hours were allotted for discussion on this Bill. It is almost complete. As there are ten more Members to take part in the discussion on this Bill, the House has to extend the time for further discussion on this Bill. If the House agrees, the time for discussion on this Bill may be extended by one hour.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, बहुत लोग बोलने वाले हैं। जब तक वक्ता हैं, तब तक इसको कंटीन्यू किया जाए।

माननीय सभापति : फिलहाल एक घंटा करते हैं, फिर बाद में देख लेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : दो घंटे बढ़ा दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: All right. If the House agrees, we can extend the time of the discussion on this Bill by two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the discussion on this Bill is extended by two hours.

Shri Ajay Misra Teni, please continue your speech now.

श्री अजय मिश्रा टेनी : सभापति जी, हम लोगों ने देखा है कि किन्नरों का एक इतिहास पूरी दुनिया में रहा है। उस इतिहास में हमने देखा है कि शकुनि के रूप में, अर्जुन ने शकुनि को आगे करके भीÂष्म पितामह से युद्ध लड़ा था और उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। ...(व्यवधान) हां, शिखंडी। शकुनि तो जुआं खेलने वाला था। ...(व्यवधान) शिखंडी को उन्होंने आगे किया जो ट्रांसजेंडर थे। इसी तरह से यह परम्परा धीरे-धीरे बन गई। हम सब जानते हैं कि महाभारत के काल में पाण्डव गए थे, तो अज्ञातवास में अर्जुन ने भी किन्नर का वेÂश रखकर अपना अज्ञातवास को काटा था। ये सब परिस्थितियां समाज में चल रही थीं। उस समय समाज में इतना दुराव नहीं था, जो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद समाज ने उनको हिकारत की दÂिष्ट से देखना शुरू किया और नाच-गाने के पेशे से वे जुड़ गए। इसके साथ-साथ चिकित्सा, शिक्षा, ऐसी जो पुनर्वास की, घर में रहने की सुविधाएं, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वह सम्मान उनको मिलना धीरे-धीरे बंद हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज हम सब देखते हैं कि चिंता हो रही है और पूरी दुनिया के 29 देशों में जब इस तरीके का कानून है तो हिंदुस्तान में भी ऐसा कानून बनना चाहिए। उस वर्ग का, थर्ड जेंडर में जाने के लिए कोई भी दोÂष नहीं है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है उसके कारण उनकी यह स्थिति हुई है।

निश्चित रूप से इसके लिए भी समाज को पहले जागना पड़ेगा। जब समाज जागेगा तभी इसका अच्छा परिणाम आ सकता है। जिस तरीके से इस समय समाज में मान्यतायें हैं, लोग इस चीज को छुपाते हैं कि हमारे यहां थर्ड जेंडर का बच्चा हुआ है, लेकिन जैसे ही वह राज खुलता है तो उसके बाद उस बच्चे की सुरक्षा के लिए उनका परिवार भी सामने खड़ा नहीं होता है। यह बात इसलिए होती है कि हमारे देश में इसके लिए कोई कानून नहीं है। देश में इसके लिए जागरूकता नहीं है जैसे बालक हुआ या बालिका हुई, वैसे ही अगर एक बच्चा उस श्रेणी में चला गया है तो परिवार वालों को सबसे पहले उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, समाज को उसको मान्यता देनी होगी और फिर उसको कानूनी मान्यता भी मिले तभी उनके अधिकारों की रक्षा हो सकती है। राज्य सभा में कानून जरूर लाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, इन्होंने राज्यसभा में इस विधेयक का उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि भावनात्मक रूप से तो हम सहमत हैं कि उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए लेकिन जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने बिल राज्य सभा में प्रस्तुत किया था, उस बिल में बहुत सारी खामियां भी हैं, उन खामियों के द्वारा उन्होंने आरक्षण मांगा था, नौकरियों में आरक्षण, प्राइवेट में भी आरक्षण की मांग की थी और भी बहुत सारी ऐसी बात कही थी जो संभव नहीं थी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह उस बिल को वापस ले, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं लिया और वह ध्वनिमत से पारित हो गया। जैसा वह बिल है, उस रूप में मैं बिल को पारित करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि किन्नरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, माननीय मंत्री जी की ऐसी मंशा भी है, उन्होंने घोÂषणा भी की थी कि केन्द्र सरकार एक विधेयक लाने वाली है और उस विधेयक में उन्होंने कहा था कि जिस तरह की सुविधा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, घुमन्तु लोगों को शिक्षा और विकास के मामले में मिल रही है, उसी तरह की सुविधायें किन्नरों को भी मिले। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार अनेक कदम उठाने जा रही है और सामाजिक सुरक्षा की दÂिष्ट से भी कार्रवाई की जा रही है।

आदरणीय मंत्री जी ने यह भी बताया था कि केन्द्रीय सरकार किन्नरों के लिए राÂष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड या परिÂषद के गठन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। जिस से जो अन्य वर्ग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में आने से पिछड़ गये हैं, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गये हैं, उनके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गये हैं।

अभी हम लोग ठीक इससे पहले जिस अनुदान-मांग पर चर्चा कर रहे थे, उसमें भी बहुत सारी बातें आई हैं। वह वर्ग भी समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा है उसी तरह से हमारे ट्रांसजेंडर भाई-बहन भी पिछड़े हुये हैं। ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता भी है और सरकार का का कर्त्तव्य भी है कि ऐसे लोगों की शिक्षा और चिकित्सा की उचित व्यवस्था के लिए उनको आरक्षण दिया जाये, आरक्षण नहीं दे सकते हैं तो प्रोत्साहन की कोई स्कीम बनायी जाये। हम उन्हें व्यापार में कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, व्यापार में उनको सब्सिडी दें, कम ब्याज दर पर उनको ऋण उपलब्ध करायें, ऐसी सारी व्यवस्थायें करने के साथ-साथ समाज और परिवार का जागरूक होना, ट्रांसजेंडरों को न्याय दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है।

इसलिए मैं लोक सभा में माननीय सभापति महोदय के माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि अगर हम अपने ट्रांसजेंडर भाई-बहनों को वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं तो जिस रूप में यह बिल है, इस रूप में हम बिल को पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार एक विधेयक लाने जा रही है और गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि ऐसे सभी लोगों को न्याय मिले। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम उनको शिक्षा और चिकित्सा जैसे सभी श्रेणियों में न्याय देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है, केन्द्र सरकार का विधेयक भी आने जा रहा है, निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे देशों में ट्रांसजेंडर्स को उनके अधिकार प्राप्त हैं, उनको कानूनी मान्यता और कानूनी संरक्षण प्राप्त है, वैसा ही अधिकार उन्हें भारत में शीघ्र ही प्राप्त होगा। हमारी सरकार की ऐसी बिल लेकर आयेगी, ऐसा मैं विचार करता हूं। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am speaking in support of the Right of Transgender Persons Bill, 2014 which was passed in the Rajya Sabha and which has been brought to this House by Shri Baijayant Jay Panda. I fully support this Bill because this Bill feels that Transgenders are persons who have to be treated with compassion, sympathy and also that they should be allowed their Constitutional Rights. Now, we have Articles 14 and 15 in the Constitution which makes everybody equal before law. There is also Article 21 which gives the Right to Life and Liberty. So, in case, the transgenders are deprived of these rights, we are actually depriving a section of the society. That is why, it is very essential to move forward with this Bill.

Now, as has been stated, these transgenders have various names. In my State, they are known as *hijras*, in some other States, they are known as *kinnars*. It has been defined in the Bill as to who are the transgenders. The transgender person means a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans-men and trans-women (whether or not they have undergone sex assignment surgery or hormone theraphy or laser theraphy), gender queers and a number of socio-cultural identities such *kinnars, hijras, aravanis, jogtas* etc.

This Transgender Bill covers only a small part of the total spectrum. In America or in many countries, the agitation is for giving totally equal rights to LGBTs. LGBTs are lesbians, gays, bisexuals and transgenders. We are covering only part of this spectrum by talking about transgenders. From our experience, we know that these transgenders are ostracized in our society. In Kolkata, it is very common that when a child birth takes place at a residence, then these transgender people come in a group. They inspect the baby to see if it is a transgender one and if it is otherwise, they demand money from the family which had a child born to them. These transgenders in my city of Kolkata live in separate slums in a community of their own. In recent times, I am seeing that they are taken to begging at the main crossings of the Kolkata city and they also put a little pressure on people. This is because they have no means of livelihood. They do a little song and dance but that is not fetching them any livelihood. That is why, they have taken to begging.

How many of these transgenders are there? One estimate is that five lakh transgenders are there in the country. According to some other estimates, there are 25 lakh transgenders in the country. My demand is that in the next census which is to take place in 2021, we should have separate census for transgenders so that exact figures are available. Though the Government of India has not brought any legislation so far, the Supreme Court has already dealt with their issue and the Supreme Court has said that they should be treated with compassion separately.

Following the Supreme Court directive, now a transgender may give his sex as male, female and others, and it will be recorded in that way in the voters' list or electoral roll. In Nepal, they have allowed transgenders to write 'others' in the passport. We, the legislators, are behind the Supreme Court and the Election Commission in having a sympathetic legislation arrangement for transgenders. That is why, this Bill becomes very urgent.

This Bill talks of setting up a National Commission for Transgenders with an eminent person who has worked with them as Chairman and six members, of whom three will be transgenders. It also speaks of setting up of State Commissions where there will be similarly a Chairman and six members, of whom three will be transgenders. These National Commission and State Commissions will look after the various problems that are being faced by the transgenders.

In the Bill two very important reservations have been made. One is a reservation of two per cent in educational institutions for transgenders of the total number of seats in each class. Again, in Government employment, it proposes reservation of not less than two per cent of the vacancies to be filled up by direct recruitment for transgenders. Also, the Bill suggests that the employers in the public sector also should ensure that at least two per cent of their workforce is composed of transgender persons.

But apart from this, the main thing is humane treatment for these transgenders. So, every organisation, mainly, the police have a responsibility towards these people, and, in case they are threatened, they are harassed, the police should take action, and that is mentioned in this law because these are people who are unable to defend themselves. It is true that because of lack of occupation, some of them do turn to crime. It is our duty, our responsibility to be sympathetic and to have proper rehabilitation and to see that if in a family, a transgender child is born, he or she should be allowed to live with the family in dignity.

The Bill, as it comes, has many good features. As I said, there are rights and entitlements like right to life and personal liberty as is enshrined in the Constitution, right to live in the community, right to integrity, protection from torture or cruel or inhuman or degrading treatment or punishment, protection from abuse, violence and exploitation. . This sympathy is most important. At present, the transgenders are subjected to very bad abuse, violence and exploitation, especially in the slums where they live. The slumlords or the local *goondas* are torturing these poor and defenceless people who have to resort to either song and dance or to begging to live. It is necessary to give these transgender people education so that they can stand on their own feet. Educational institutions should reserve seats and see that there is no discrimination against them in the educational institutions.

Also, these people have no skills as such. So, there is a chapter which says skill development and employment for them is necessary. Yesterday, we discussed the budget of the Ministry of Skill Development. It was targeted that we should develop skills for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and women. Now similar arrangement should be made for skill development of transgenders so that they are able to earn a living, which is at the root of all their problems. Then, they should be provided with health care facilities. If they go to any hospital – these transgenders very often suffer from both sexually transmitted diseases and HIV Aids – they should be ensured free treatment.

I do hope that once the National Commission and the State Commissions are set up, they will go into this problem and, from time to time, issue directives to the Government as to what actions should be taken. We cannot allow a large section of the population, a large section of the society to go into penury, destitution and beggary. We have this responsibility towards these unfortunate people who are born a little different from others. For that purpose they should not be deprived of their rights.

The proposed legislation speaks of special rights for transgenders. In case their rights are violated, they will have a right to take resort to legal action and there will be an exclusive transgenders' court. It may take a little time to set up but I think a beginning has to be made now. A message has to go out from the Government that they are under the protection of the Government; that no inhuman behaviour towards them will be tolerated and that the Government is making a serious and earnest effort to rehabilitate them socially, economically and culturally.

The hon. Minister of Social Justice and Empowerment is present in the House. Today, his Budget was discussed. I have with me a Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment. The Committee says that an Expert Committee was constituted to make an in-depth study of the problems being faced by the transgender community. So, the first step has been taken. The Expert Committee has already submitted its Report on 27th January, 2014. I may remind you that the present Government came into power in May, 2014. By now the action should have been taken. Two years have elapsed and we have not made any progress in this regard.

A Standing Coordination Mechanism in the form of an inter-Ministerial Committee has been constituted to discuss the issues. The Standing Committee has reported that the Department is also in the process of formulating a Bill titled 'the Rights of Transgender Persons Bill', which was placed on the website of the Department on 3/12/2015 for seeking comments from the public. A pre-legislative consultation meeting with the stakeholders was held this year on 18/1/2016. All I would say is that the Department has made some progress. It has placed the draft legislation on the website. What is needed is a sense of urgency in the matter. The urgency is required because every day inhuman behaviour toward transgenders are taking place, more and more transgender people are taking to crime and they are becoming a nuisance in society.

When I was an MLA in Kolkata, I have seen the subhuman conditions they live in. They take away a child which is born as transgender from the family and as a result of which it takes to the same methods.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : सभापति महोदय, माननीय सौगत राय जी यह जानना चाहते हैं कि हमने प्रारूप वेबसाइट पर डाला है, तो उसमें क्या प्रगति हुई है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने प्रारूप फाइनल कर लिया है और लॉ डिपार्टमैंट से उसकी स्वीकृति आ गयी है। उस पर कैबिनेट नोट बनकर सर्कुलेट हो गया है। हमारा प्रयास होगा कि हम अगली कैबिनेट मीटिंग में उसे रखें और आगे बढ़ायें।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब हम यह डिसकस कर रहे हैं, तो उन्होंने इस संबंध में इतनी प्रगति की है। मैं पहले यह समझता था कि राज्य सभा में सरकार इस बिल को पास नहीं कराना चाहती, लेकिन फिर भी यह बिल पास हो गया। लोक सभा में हम सरकार के खिलाफ जाकर बिल पास नहीं कर सकते। लोक सभा में हमारी मंत्री जी से अपील होती है कि आपको जो भी करना है, उसे जल्दी कीजिए। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बारे में बोला है।

> "The Committee, therefore, desire that the Department should expedite the finalization of the umbrella scheme without delay so that the same could be implemented at the earliest, being the only scheme for the welfare of the transgender community."

स्टैंडिंग कमेटी ने यह बोला है। आप जितनी जल्दी यह बिल सामने लायेंगे, उतना अच्छा होगा। मेरे ख्याल से सारा हाउस संविधान को मानकर उस पर प्रतिक्रिया देगा। ये अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दिक्कत में हैं, असुविधा में हैं, इसलिए हम उन्हें देखें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे यह लगा कि सरकार आज इस बिल पर डिसकशन पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें वोटिंग होगी और सरकारी लोगों को इसके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा प्रलंबित किया जाये, क्योंकि जब तक इस पर डिसकशन पूरा होगा तब तक आपका बिल आ जायेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके लिए कुछ किया जाये। सरकार पर ब्राउनी प्वाइंट्स स्कोर करने से क्या फायदा है? हमें इन बेचारे गरीब, बेसहारा लोगों की मदद करनी है और यही हम सबका फर्ज बनता है। मैं बहुत खुश हूं कि मंत्री जी इतने प्रो-एक्टिव निकले. ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आजादी के 67 सालों तक किसी भी सरकार ने इस वर्ग के बारे में कुछ नहीं किया।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : ये बहुत ही गरीब हैं। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मेरी आपत्ति यह है कि अगर मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन आ गया है। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : पिछली सरकार जनवरी, 2014 में कुछ करके गयी थी। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन आ गया है कि कैबिनेट नोट सुर्कलेट हो चुके हैं, तो यहां चर्चा करने की जरूरत क्या है? If the mover of this Bill can withdraw it, we have another important Bill – Small and Marginal Farmers (Welfare) Bill – just after this one, which is more important. We have already ...(*Interruptions*) This is for the consideration because in what circumstances, Rajya Sabha passed that Bill, that is not of our concern.

We have discussed and we may be discussing as Prof. Roy has just now mentioned that we should continue this discussion. मेरी यही आपत्ति है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वह एक बिल यहां प्लेस करे। उस समय भी हमें चर्चा करनी है। ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, 67 वÂर्षों तक इस वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ। आज जब सब लोग यहां बैठकर उस पर अपनी राय देना चाहते हैं तब उसका विरोध क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि हर किसी की बात सुनने का अधिकार है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उसका विरोध नहीं हो रहा, बल्कि सुझाव आया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हमें बोलने का अवसर दिया जाये। हम लोग सारे काम छोड़कर इस वक्त बोलना चाहते हैं। ...(व्यवधान) हम लोग उनके हक में बात करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: अनुराग जी ने जो कहा, वह बिल्कुल सही कहा। मेरा पिछली सरकार से सम्पर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने जनवरी, 2014 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी। उस समय यूपीए-टू की सरकार थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसी पर काम आगे बढ़ रहा है। आपको इतिहास को मानना चाहिए। मैं भर्तृहरि जी के प्रस्ताव के बारे में कुछ नही कहना चाहता, क्योंकि प्रस्ताव का मूवर भी उनकी पार्टी का है और सजैशन भी उनकी तरफ से आया है। वे अपनी पार्टी में सैटल करें कि क्या करेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैंने जब चर्चा की थी, जो बिल हाउस में प्रस्तुत किया गया है, उसके खिलाफ ही बोला था। जनरल परसेप्शन ट्रांस जेंडर को लेकर है, इसके समर्थन में सब बोलेंगे। लेकिन जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, इसमें कई खामियां हैं। मैंने एक-एक करके इन खामियों को ही उजागर किया था। पता नहीं, सरकार जो बिल लाएगी, रिजर्वेशन के हिसाब से ट्रांस जेंडर के लिए कुछ इलैक्शन लड़ने के लिए है या नहीं, यह उस समय डिसकस होगा।

श्री थावर चंद गहलोत : मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस विÂषय पर गंभीर है। सरकार ईमानदारी से इन वर्गों का हित संरक्षण और उससे संबंधित प्रावधान बनाना चाहती है। इसी आधार को लेकर हमने यह कदम बढ़ाया है। राज्य सभा में जो बिल पास हुआ है, उसमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और उन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण बताएंगे, लेकिन हमें लगा कि सरकार को अलग से विधेयक लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और कहा कि इनको थर्ड जेंडर में रखा जाएगा। इसके साथ यह भी कहा कि इनको मेल या फिमेल में रहना है, यह उनकी च्वाइस का अधिकार है।

जन्म से कोई व्यक्ति अगर स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, उसके जन्म का प्रमाण पत्र उस समय बन जाता है। जब 20-25 साल का हो जाता है तब किसी कारण से ट्रांस जेंडर की परिभाÂषा वाला बन गया, तो उसका क्या होगा? हमने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यु पेटिशन करके मांग की है कि इस संबंध में स्पÂष्टीकरण दें क्योंकि ट्रांस जेंडर है या नहीं, कौन है, इसका निर्धारण तो डॉक्टर ही करेंगे। मेडिकल लाइन पर ही कोई निर्णय होगा। पैनल डॉक्टर विचार करेंगे कि मेल है या फिमेल है, इसका निर्णय करेंगे। जब तक यह निर्णय नहीं होगा तो कैसे काम होगा?

बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि हम एससी में हैं तो हमें एससी की फैसिलिटी दे दीजिए, कोई कहता है एसटी हैं तो एसटी की फैसिलिटी दे दीजिए, कोई कहता है हम ओबीसी के हैं, हमें ओबीसी की फैसिलिटी दे दीजिए। इस तरह से थर्ड जेंडर में जो देने वाले हैं, यह स्वाभाविक ही है कि एससी, एसटी की सुविधाएं उससे ज्यादा हैं, तो वे वही लेना चाहेंगे। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जिनका स्पÂष्टीकरण जरूरी है। जन्म से जो प्रमाण पत्र बन गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, तब तक तो वह पुरुÂा था तो बाद में उसका सर्टिफिकेट कैसे चेंज होगा, कौन चेंज करेगा। इस तरह की बहुत

सी विसंगतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं जिनका निर्धारण करना जरूरी है। इन सब बातों को लेकर रिव्यु पेटिशन लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार चार तारीख मिली थी, अब कौन सी तारीख लगेगी, इसका निर्णय आने तक हम कानून बना देंगे और उसके बाद भी प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई होगी। प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिलेगा और हम कानून बनाकर रख लेंगे, नियम भी बना देंगे लेकिन प्रमाण पत्र जिसके पास ट्रांस जेंडर का होगा, उसी को तो सुविधा मिलेगी और प्रमाण पत्र नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। इन कठिनाइयों को दूर करते हुए हम विधेयक लाने का प्रयास कर रहे हैं।

अभी महताब जी का सुझाव आया कि मूवर इसे विड्रॉ कर ले। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस विÂषय पर खुल कर बोलें ताकि सरकार का मार्गदर्शन हो जाए, हम जो विधेयक लाने वाले हैं, उसमें और सुधार कर लें।

माननीय सभापति : दो घंटे का समय बढ़ाया है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, इस प्राइवेट मैम्बर बिल में विसंगतियां हैं क्योंकि यह समाज से उनको अलग करने की दिशा में लेकर जाता है। जैसे अलग कोर्ट बन जाए, अलग थाना बन जाए इससे वह अपने आपको अलग महसूस करेगा। मेरा निवेदन है कि जितनी विसंगतियां हैं, वह क्लियर होनी चाहिए।

माननीय सभापति : यह बिल पेंडिंग है, इस पर चर्चा चल रही है।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक ट्रांसजेंडर परसन मानवी बंदोपाध्याय का ओपरेशन हुआ था। वे एक कालेज के प्रिंसिपल बन गए। अगर उन्हें मौका दिया जाए, अगर एक ट्रांसजेंडर कालेज प्रिंसिपल बन सकता है तो सब कुछ हो सकता है।...(व्यवधान)

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदना से भरे हुए विÂषय पर और इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं इसका शीÂर्षक अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा क्योंकि मैं अपने योग्य साथी से बिलकुल सहमत हूं कि " विपरीत लिंगी " शब्द उचित नहीं है।

महोदय, यह बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही संवेदनाओं से भरा हुआ बिल है। जो लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, जैसे किसी ने लड़के के शरीर में जन्म लिया है लेकिन जब वह 12, 14 वÂर्ष का होता है तो उसे लगता है कि उसकी आत्मा, उसकी भावना, उसकी मानसिकताएं एक लड़की की हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने आपको पहचान नहीं पा रहा, हम उसे पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वरिÂष्ठ साथी सौगत राय जी ने बिलकुल सही कहा है कि इस विÂषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथियों ने चर्चा की है लेकिन वे इस विशेÂष अंतर को सही तरह से नहीं बता पाए कि First, gender and sex are distinct in this context. Sex is assigned at birth. Gender once innate gives a sense of self. In Latin, 'trans' means 'on the other side of'. मतलब यह है कि जन्म से तो बच्ची पैदा हुई है लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी भावना लड़का बनने की है, वह लड़के की तरह कपड़े पहनना चाहती है। यह तो एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी वह है जिसके जन्म से ही गुप्तांग में कुछ विकृति होती है। वह न लड़का पैदा होता है, न वह लड़की पैदा होता है, इस तरह के बहुत ही अल्प संख्यक लोग हैं। लगभग एक करोड़ ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं। एक तरफ तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रकृति ने, भगवान ने जन्म से ऐसा बनाया है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि इन लोगों से चिढ़ते हैं, इन लोगों की उपस्थिति से, इनकी समाज में मौजूदगी से बड़े घृणित हैं और गुस्सा हैं। इन लोगों का जो व्यवहार है, ये जो सिसजेंडर लोग हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है, मगर अपने जेंडर पर उनका इतना विश्वास और अहम है कि ऐसे जो लोग हैं जोकि ट्रांसजेंडर हो गए हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कानून बनाने चाहिए।

मेरे साथी अजय मिश्रा बोल रहे थे। उन्होंने कुछ धार्मिक बातें रखीं। तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिला के कवगम गांव में एक मेला प्रति वÂर्ष होता है। श्री कुट्टन द्वार जी का विवाह जब विÂष्णु भगवान के महिला स्वरूप मोहिनी से हुआ था, हर वÂर्ष इसे मेले के रूप में मनाया जाता है। यह हर वर्ष अप्रैल और मई में मनाया जाता है। काफी लोग निराकारी हैं। वे मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है। यदि भगवान का आकार नहीं है, तो निश्चित रूप से भगवान का लिंग भी नहीं है। भगवान न औरत हैं, न पुरुÂष हैं। इसलिए हम सबका अपने भौतिक शरीर से, अपनी भौतिकता से हमारा अहम जुड़ा है, इसलिए हम लोग अपने आप को एक आदमी या औरत मानते हैं। मगर वे लोग जो अपने आप को आदमी या औरत नहीं मानते हैं, वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक दÂिष्ट से हम लोगों से ऊपर माने जाते हैं। यह भी एक भावना है, जिसके कारण इस मंदिर में, जहाँ पर हर साल यह मेला होता है।

मैंने दिल्ली के चौराहों पर देखा है, जब लोग लाल बत्ती पर हमसे भीख मांगने आते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्हें पैसे देकर हाथ जोड़ते हैं और वे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कथा यह है कि एक मानव बली चढ़ानी थी, यदि मानव बली चढ़ायी जाए और उस पुरुÂष का विवाह न हो, तो उसे गति प्राप्त नहीं होती है। इस वजह से भगवान विÂष्णु ने स्त्री मोहिनी का रूप लेकर आर्वन जी से विवाह किया और अगले दिन आर्वन जी की बली चढ़ायी गयी। इसलिए अगले दिन रात को विवाह का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और जितने भी ये लोग रहते हैं, हम चाहे उनको किन्नर कहें या हिजड़े कहें, वे सब वहाँ पर आते हैं और विवाह का रूप लेकर इसे मनाते हैं और अगले दिन सुबह में ये अपनी चुड़ियाँ तोड़ देते हैं और वैधव्य का रूप अपना ले लेते हैं। इसलिए हमारे दर्शन में जो अर्धनारीश्वर की बात कही गयी है, उस पर इनका विश्वास है और उसी पर यह परम्परा है। यह तो हमारे समाज का एक वर्ग है जो इसे बहुत ज्यादा मान्यता देता है और सम्मान भी देता है।

केरल की एक रिपोर्ट है, यह अंग्रेजी में है, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि मैं इसे अंग्रेजी में कोट कर सकूँ। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने लिखा है- I was sent to a mental hospital because of them. I have complained to the doctor that I am perfectly fine. The doctor said, it is all about hormonal problem, we can inject hormones. I was kept unconscious. I was given 15 tablets a day. I went mad in the hospital after seeing other patients.

एक अच्छे भले शिक्षित ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पागलखाने में डाल दिया गया और उससे पागलों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, उसे पागलों की दवाइयाँ दी जा रही हैं। I even wanted to die due to mental pressure. I tried running away from hospital but the guards caught me. You know the guards, right? They are trained to be like that. I stayed there for one month. एक महीना तक उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया गया।

Moreover, the rigid religious principles across all religions have always projected that being a transgender is sinful. There have been circumstances where the church has denied right to be part of the service. By then the entire world came to know this and the Pastor in my church asked my father not to bring me to church. They said I am a sinner. I was not allowed to attend the funeral of my uncle also.

इस प्रकार का दुर्व्यवहार, जो परम्परागत हो गया है, के बारे में बड़े सख्त विधेयक लाने होंगे। यहीं व्यक्ति बताते हैं कि जो एनजीओज हैं, वे भी अपना पता तक गोपनीय रखना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे अपना पता क्यों गोपनीय रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसियों को इससे आपत्ति हो जाएगी यदि उनको पता चल जाए कि यहाँ पर किन्नरों के लिए एक एनजीओ चल रहा है। इसलिए यह एक बड़ी दुखद घटना है।

तमिलनाडु और केरल के बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, खास तौर से केरल में बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है। मगर उससे लगे हुए राज्य तमिलनाडु, जहां पर यह मंदिर भी है, में इतना बुरा व्यवहार नहीं है। प्रिया बाबू नामक किन्नर लिखते हैं कि उन्हें शिक्षा का मौका दिया गया। In Tamil Nadu, all the major colleges are continuously working on transgender issues. Last year, we made a film and screened in all these colleges like Loyola College and Women's Christian College. I was a part of it. So I know how effective it was. We also arranged the session for the students to interact with us. Awareness is important. तमिलनाडु में ऐसी व्यवस्था की गयी है। निश्चित रूप से इन व्यवस्थाओं को हमें राÂष्ट्रीय स्तर पर लागू करवाना चाहिए। यहां पर एक विधेयक पारित करने और कानून बनाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार अब एक कदम और आगे बढ़ी है कि ये जो बच्चे हैं जो मानते हैं कि उनका शरीर अलग लिंग का है, लेकिन उनका हृदय और आत्मा दूसरे लिंग की है और वह इनके इस शरीर में फंस गयी है, उनके लिए उन्होंने शल्य चिकित्सा कराने की व्यवस्था की है, उन्होंने एक उपचार निकाला, एक सफल रास्ता निकाला है। Tamil Nadu Government established an exclusive welfare board for transgender persons in 2004 They started *nirvana* surgery where people undergo an operation to change their biologically assigned sex and it was provided at subsidized rates. इस शल्य चिकित्सा का नाम उन्होंने "निर्वाण" रखा है। ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं।

जहां एक ओर उनके लिए कानून बनाना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर अगर हम इसका व्यावहारिक रूप देखें कि आखिरकार ये जो किन्नर हैं, जो हमसे चौराहे पर भीख मांगते हैं, ये अपना जीवनयापन केवल भीख मांग कर तो नहीं करते होंगे। आखिर इनका कारोबार क्या है? जैसा अभी सौगत राय जी ने कहा, इनका आर्थिक कारणों से यौन शोÂषण होता है और ये लोग यौन सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। इस बात के बारे में किसी ने भी यहां चर्चा नहीं की है। इसी कारण, जैसा सौगत राय जी ने कहा, ये लोग एचआईवी से एफिलक्टेड हैं और इस रूप से इनकी सहायता होनी बड़ी जरूरी है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व के आंकड़े देखें तो केवल भारत में ही इनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? इसी इंडियन सब-कांटिनेंट - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में ही यह वर्ग इतना क्यों है? अगर यह व्यावहारिकता है या प्राकृतिक कमी है तो दूसरे देशों में यह .01 प्रतिशत से भी कम क्यों है? हमारे देश में इनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? इससे यह साफ नजर आता है कि यह एक बहुत ही भयावह तरीका है, भयावह कल्ट है। यह एक अपराधिक कल्ट है, जहां पर गरीब बच्चे, दस-बारह साल के होते हैं, जो अपने आपको संभाल नहीं पा रहे है, जिनका परिवार उन्हें संभाल नहीं पा रहा है, उनके पास आकर किन्नर लोग उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें अपने साथ लगा लेते हैं। इसके बारे में वृत-चित्र भी बने हैं, बीबीसी का एक कार्यक्रम - Under the Sun है, उसके लेख हैं, वृत-चित्र भी उपलब्ध हैं। उनमें यह स्पÂष्ट दिखाया गया है कि कैसे 12 या 14 वर्ष के बच्चों को केवल अच्छे भरपेट भोजन के लिए ये लोग प्रभावित कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। कुछ दिनों अपने साथ वैसे ही घुमाते हैं, फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे लड़कियों के कपड़े पहन लें, अपने बाल बढ़ा लें और जब यह सब हो जाता है तो एक दिन बड़ा अच्छा भोजन देने के बाद उनके खाने में नींद की गोलियां डाल दी जाती हैं, जब वह बच्चा जागता है तो उसे पता लगता है कि जब वह गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसकी मर्जी और सहमति के बिना उसका आपरेशन करके उसे हिजड़ा बना दिया गया।

आजकल यह एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। एक दफा व्यक्ति हिजड़ा बन जाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता है। उस वृतचित्र को बहुत ही संवेदन से भरे हुए दो अरूणा झाला जी और कल्याण मुखर्जी ने बीबीसी के लिए बनाया है। उन्होंने असल में जाकर उन लोगों से इंटरव्यू करके पूछा है कि तुम अपने घर क्यों नहीं लौट जाते, अगर तुम अपने जीवन से इतना दुखी और त्रस्त हो तो आखिरकार तुम अपने घर क्यों नहीं लौट जाते तो उसने बताया कि जब मैं घर लौटकर गया तो मेरे घरवालों ने जब मेरा यह स्वरूप देखा, लम्बे बाल, लिपस्टिक लगे होंठ और साड़ी पहनकर मैं गया और जब उन्हें पता लगा कि मेरा आपरेशन करके मुझे हिजड़ा बना दिया गया है तो मेरे घरवालों ने भी मुझे लानत देकर घर से भगा दिया। आज यह इतना भयावह तरीका बन रहा है और एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। जहां पर यौन शोÂषण है, बच्चों को जबरदस्ती कैदी रखा जा रहा है और फिर उन्हें अपंग बनाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जबरदस्ती यौन सेवाओं या यौन शोÂषण में धकेला जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।

अभी हमारे योग्य साथी बात कर रहे थे कि इन्हें आरक्षण देना चाहिए। इस कलयुग में अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं, जहां पिता रिटायर होने वाला है और बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है तो बेटा पिता का कत्ल कर देता है कि मुझे इसकी नौकरी मिल जायेगी। हमारे देश में ऐसे बहुत से केसिज हैं। अगर आप ट्रांस जेंडर्स को आरक्षण दे देते हैं तो यह कल्ट इतना बढ़ जायेगा कि लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उनका आपरेशन कर दिया जायेगा। अगर यह एक नौकरी लेने का तरीका बन जाए, क्योंकि आप आरक्षित श्रेणी में आ जायेंगे तो हम अनजाने में कितना बड़ा और बुरा नुकसान अपने समाज का करेंगे। यह जो कल्ट है, इस उपमहाद्वीप में इनकी जो इतनी बड़ी संख्या है, वह इस कारण है, क्योंकि यहां पर एक गंदी परम्परा ने जन्म ले लिया है। जो आध्यात्मिक रूप था, आज वह केवल सस्ता यौन सेवाओं का माध्यम है और इस पूरे सदन को इसका बिल्कुल सीधा सामना करना पड़ेगा। आरक्षण के लिए कोई कहता है कि इन्हें पिछड़ा बनाइये, अभी-अभी मंत्री जी कह रहे थे कि इन्हें अनुसूचित वर्ग में जोड़ने का प्रयास करने की कोशिश है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अनुसूचित या पिछड़े वर्ग के लिए जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग या अनुसूचित आयोग इसे स्वीकार न करे, तब तक इन्हें निश्चित रूप से इस प्रकार की श्रेणी नहीं दी जा सकती और न ही देनी चाहिए। जहां एक ओर ये सारी बातें बड़ी गंभीरता की हैं, वहीं इन सारी बातों पर बहुत ही गंभीर चर्चा न हो जाए और गंभीर जांच न हो जाए, तब तक कोई भी कानून यहां बनाना ठीक नहीं होगा।

माननीय सभापति : इससे ज्यादा गंभीर चर्चा क्या होगी, इतनी गंभीर चर्चा हो रही है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : नहीं सर, जब तक जांच न हो जाए, अभी तक किसी ने इस विÂषय पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं की या सचाई क्यों नहीं बताई। हम सब जानते हैं कि आखिरकार जो इतनी महंगी-महंगी साड़ियां पहनकर हमसे भीख मांग रहे हैं, वे केवल हमारी भीख से ये साड़ी नहीं ला रहे हैं। तब ये यौन सेवा की बात सदन में क्यों नहीं आई, न यहां लोक सभा में आई और न राज्य सभा में आई। यह एक बहुत विशाल मामला है और समाज जब तक ट्रांस जेंडर व्यक्तियों को स्वीकार कर उनके अधिकारयुक्त शांतिपूर्ण जीवन को सुनिश्चित नहीं करता है। मान्यवर, यह तभी संभव हो पाएगा, जब तक समाज एक विशेÂष सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन कर इन अल्पसंख्यकों को खुले मन से स्वीकारे। ऐसे जल्दबाज़ी में कानून बनाना, बिना किसी अच्छी जांच रिपोर्ट के यह बहुत ही आधा अधूरा होगा और एक ऐसी कल्ट को बढ़ावा देगा, जिसे हम सब जानते हैं कि यह अपराधों और शोÂषण से भरा है।

धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you very much, Sir, for giving me the opportunity. From Telugu Desam Party I wholeheartedly support this Bill. Of course, I definitely partially agree with my predecessor who spoke against reservations, reservations leading to perpetuation of this transgender quality. As he has requested to go deep into this issue, I would like to draw the attention of the House to the genetic formation of a child.

What is the genetics of the human beings? A female is born when XX genes are there and a male is born when XY gene is there. There are certain genetic malfunctions and malformations whereby a female can have XY or a male can have XX. These are also genetic variations resulting in the abnormal child. There are certain studies made by psychologists in the field of genetic. The original psychologist Sigmund Freud has dwelt upon the psychosexual development of a child and the transgender. He said that there are; oral, anal, sexual and phallic stages, so many stages and each taking place at each fixed interval. Whenever there is confusion, a mixture of these stages, a transgender emerges out. Physically, anatomically, functionally that means physiologically all transgender are like males or females. We only see male transgender. I have yet to come across a female transgender, as it is a very-very rare condition. The commonest condition is a male transgender which we come across on the streets every day. Physically they are very strong. There are instances in the mythology. We have the Shikandi who when appeared during the Mahabharat changed the whole war. At the same time, we have seen transgender kept in big kingdoms to protect the queens. So, they have been used like that.

It is most unfortunate that the pitiable, the pathetic condition of transgender was picturised in a Pakistani movie called 'Bol'. If anybody watches that movie he can understand the plight of a transgender, the pain and agony of the parents of a transgender. When a child is born nobody can identify whether he is going to be a transgender or not. It is only at the age of puberty, at the age of exhibiting the sexual qualities, that one can notice it. The female transgender can be easily tackled. Male transgender is very difficult to identify. Easy identification can be done by the genetics but it is mostly psychological and functional.

As far as the functional aspects of a transgender are concerned, there can be some malingering, some pretentions but how to identify a true transgender is a big question. It can only be inferred by continuous monitoring of the behaviour of a person like refusing to marry the opposite sex and thereby certifying that he has become a transgender. When they prefer the same sex for their partnership, that is the first sign of a transgender. Therefore, trying to determine anybody's transgender quality through medical diagnosis will definitely lead to fiasco. Medical test cannot conclude anybody's transgender quality but as I said all transgender males will definitely have XX and they will be tested as males. They will produce male harmones.

17.00 hours

They will produce male hormones. They are also capable of producing children because their testosterone hormone, prostrate, etc. are intact. Physically, muscularly, proteins, carbohydrates and distribution of these things in the body are perfectly alright. The only problem is functional which means psychological. The cognitive functions are not as per the male as assigned during the birth. Therefore, it is a very difficult situation and it is a very difficult Bill. As has been said by the hon. Minister, it has already been discussed in the Supreme Court and we are only discussing its judgement. It is not easy even for the Supreme Court to pronounce a transgender.

Every scientist who studied the male behaviour and genetics is equally confused. It is such a confused state of human functioning. If you codify that as a Bill and if anybody tries to pass on a judgement on transgender, it will be a grave injustice. There will be miscarriage of justice. Therefore, a lot of caution needs to be exercised. A lot of sympathy needs to be exhibited. A lot of restraint is required instead of ridiculing them, teasing them and laughing at them. That is why, I would request the Members who are interested in knowing the pain and agony of the transgender himself and of the parents of the transgender also to see a Pakistani movie called "Bol". If you see that movie, it will make very clear as to what is the confusion.

There are anatomical confusions, psychological confusions, genetic confusions, functional confusions, cultural confusions and above all there is agony. Nobody can quantify their agony unless one experiences it himself. It is a pathological and psychological problem also. It is a combination of anatomy, physiology, bio-chemistry, psychiatric, psychology, culture, etc. Let us not draw any hasty conclusion about transgender. This Bill needs a lot of consideration and restraint before passing each provision. There are so many provisions in the Bill. Let us devote more time in protecting their rights. At the same time, let us not perpetuate their problems.

As my colleague has said, there may be attempts to artificially make them transgender through surgeries and other things. It is because the definition says that the transgender means any person by birth and also induced to transgender either by hormone or by lazor. So, those are also included. The people who are being induced and who have been operated to become transgender will also be entitled to transgender. Therefore, let us not encourage the induction of transgender by artificial means. Let us recognise only those transgender who are functionally and psychologically transgender but anatomically and physiologically belong to their original genetics as per birth. Jai Telugu Desam.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, धन्यवाद। अभी मंत्री जी ने जिस तरह का आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि इस बिल के बाद सारी जो लोगों की आशंकाएं हैं, वे शायद खत्म हो जाएंगी, जब यह बिल केन्द्र सरकार लेकर आएगी। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और खासकर हमारे मंत्री माननीय थावर चंद गहलोत जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वैसे लोगों के बारे में सोचने का काम किया या इस सरकार ने वैसे लोगों के बारे में सोचने का काम किया जो अनुराग सिंह ठाकुर जी अभी बता रहे थे कि 68 साल से किसी भी सरकार ने इस समाज के लिए न सोचा, न किया, न करने का प्रयास किया। हमारी सरकार इसको करने का प्रयास कर रही है, इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है।

जो तिरूची शिवा जी द्वारा राज्य सभा में पास किया हुआ बिल है और जिसको हमारे काबिल दोस्त बैजयंत पांडा साहब ने यहाँ इंट्रोडयूज़ किया है, इस बिल में कहीं-कहीं खामियाँ हैं। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन एक सरसरी निगाह से इसको देखने के बाद मुझे खामियाँ दिखाई देती हैं। इस बिल में काफी खामियाँ हैं। जैसे जो क्लॉज 10 है, क्लॉज 10 में जो आप कह रहे हैं कि कोई भी आदमी, सबसे पहले कह रहे हैं कि :

> "Any person or registered organization who are or which has reason to believe that an act of abuse, violence or exploitation has been or is being likely to be committed against any transgender person may give information about it."

उसके बाद एक्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा, और चीज़ें आएँगी। इस देश में जिस तरह से हम कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें रुक जाने वाली हैं, जिस तरह से दबाव डालकर कह रहे हैं कि यह भी कानून होगा? अब आप समझिए कि हमारे यहाँ ये लोग आते हैं, कभी शादी-विवाह के मौसम में आ जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त आ जाते हैं, कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है तो उस वक्त आ जाते हैं। किसी को अच्छा लगता है कि उनको बुलाकर बात कर लेते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। कोई ऐसा परिवार होता है जो पैसा नहीं दे सकता। यदि वह पैसा नहीं देगा या अपना गेट नहीं खोलेगा तो आपको यह नहीं लगता कि ये सारी जो चीजें हैं, वह सीधा उसको जेल भेजने लायक हो जाएँगी? क्या इस तरह का बिल हम चाहते हैं? जो प्रैक्टिकल प्राबलम है, क्या आपने कभी उसको रियलाइज़ किया? वे ज़बर्दस्ती आते हैं, हम तो उसको बुलाते नहीं हैं। इस हाउस में बोलने के लिए बहुत लोग हैं। एक आदमी बताइए जो उनको बुलाते हैं कि हमारे यहाँ शादी हो रही है, आप आइए, हमारे यहाँ विवाह हो रहा है, आप आइए, हमारे यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा हो रही है, आइए। वे आते हैं और आना भी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि क्यों आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं। यदि वे पैसा नहीं देंगे और इस तरह का बिल आएगा तो क्या होगा? इसमें लोग जेल जाएँगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जब हम बिल इंट्रोडयूस करते हैं तो उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉबलम है, इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इसके बाद आपने जो क्लॉज़ नं. 13 में एजुकेशन की बात कही है -

> "The appropriate Government and local authorities shall ensure that all education institutions funded or recognised by them provide inclusive education and *inter-aliaâ€¦*"

इसके बाद ये ये बातें कही हैं। अब आप समझिए कि इस देश में प्राइवेट एजुकेशन में जो इकोनॉमिक वीकर सैक्शन है, उसका भी 25 परसेंट वे एडमिट कर रहे हैं या नहीं, बच्चे उसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आप एक नई सिचुएशन पैदा करेंगे। जब यह सिचुएशन पैदा होगी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको ले पाने के लिए कितना लायक होगा। नहीं होगा तो वह लिटिगेशन में फँसेगा या नहीं। अभी आप देखिए कि दिल्ली सरकार रोज़ किसी न किसी को लिटिगेशन में फँसाने की बात कर रही है। उसके क्रियेट किए हुए एसैट को लेने की बात कर रही है। मेरा कहना है कि यह जो पॉइंट नंबर 13 है, यह बिल क्यों पास नहीं होना चाहिए और सरकार का बिल इन सारे कंसर्न्स को देखते हुए क्यों आना चाहिए, यह मेरा कहना है। हम उनके पक्ष में हैं, ट्रांसजैन्डर्स के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, उनके लिए बिल आना चाहिए, लेकिन इस बिल की जो समस्याएँ हैं, उस बिल के बारे में मैं कह रहा हूँ। इसके बाद क्लॉज़ नं. 21 देखिये।

> "All Government institutions of primary, secondary and higher education receiving aid from the Government shall reserve 2 per cent of the total seats in each class or course for transgender persons. "

अभी मंत्री जी ने जो बात कही, क्योंकि जो अनुराग जी कह रहे थे कि इसका अनुवाद उचित नहीं है, मुझे भी लगता है कि यह विपरीतलिंगी नहीं, यह उभयलिंगी होगा। उभयलिंगी मतलब, जब वह महिला बनना चाहें तो महिला बन जाएँ और जब वह पुरुÂष बनना चाहें तो पुरुÂष बन जाएँ। उनके पास दोनों तरह की क्वालिटी होती है, महिला और पुरुÂष दोनों की क्वालिटी होती है, इसलिए वे ट्रांसजैन्डर हैं, और इसलिए वे उभयलिंगी हैं। अब आप यह समझिए कि यदि आप दो परसेंट सीट रिज़र्व करेंगे तो दो परसेंट सीट कैसे रिज़र्व करेंगे? महिला के लिए रिज़र्व करेंगे या पुरुÂष के लिए रिज़र्व करेंगे? आप शैडयूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व करेंगे या शैडयूल्ड ट्राइब के लिए रिज़र्व करेंगे, क्योंकि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब जो है, जो बात मंत्री जी कह रहे थे, उसमें एक प्रैक्टिकल प्राबलम है। जो बच्चा शैडयूल्ड कास्ट में पैदा होगा, वही शैडयूल्ड कास्ट होगा, जो बच्चा शैडयूल्ड ट्राइब में पैदा होगा, वही शैडयूल्ड ट्राइब होगा। हम अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि यह भी शैडयूल्ड कास्ट हो जाएगा, यह भी शैडयूल्ड ट्राइब हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल प्रॉबलम है, इसमें यदि आप दो परसेंट का कोटा निर्धारित करने की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल वह है। इसके बाद क्लाज़ नंबर 23 और 24 है।

> "The appropriate Government shall within a period of one year from the commencement of this Act provide incentive to employers in the private sector to ensure that at least 2 per cent of their workforce is composed of transgender persons."

अब बैजयंत पांडा साहब, आप खुद ही प्राइवेट सैक्टर चलाते हैं। मतलब आपके फादर का बिज़नैस है, फैमिली चलाती है, मैं यह कर रहा हूँ। लेकिन एम.पी. बनने के पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में भी जानकारी होगी। आप बताएँ कि अभी पूरे देश भर में माहौल है कि प्राइवेट सैक्टर में जो रिज़र्वेशन है शैडयूल्ड कास्ट्स का, शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ का, ओबीसी का, वह देना चाहिए।

अभी तक कोई भी सरकार यही निर्णय नहीं कर पाई है। प्राइवेट सैक्टर को हम यहां तक ही खड़ा नहीं कर पाये और हम एक नया बिल जबरदस्ती, जब तक वह बिल नहीं आया है, यह बिल हम आज लेकर आ जाएंगे कि आपको दो परसेंट ट्रांस जेंडर को देना ही देना है। क्या आपको लगता है कि इन्वैस्टमेंट आ पाएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि हां, विश्वेश्वर रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, इनकी वाइफ खुद ही एक बड़ा अपोलो ग्रुप चलाती हैं, क्या वे दो परसेंट ट्रांस जेंडर को दे पाएंगे? मेरा यह यह कहना है कि यदि यह सारा बिल हम यदि पढ़ते तो आपको खुद ही लगता कि इस बिल में बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रोब्लम है। इसके बाद यदि आप देखेंगे, In Section 47 which is on transgenders rights, you have said:

> "May establish for each district and shall establish for each city."

अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के सामने एक फोटो आया, वह सही है या गलत है, लेकिन अखबार के माध्यम से वे खुद ही से रहे हैं कि इतने जज नहीं हैं, हम केस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इतना एस्टेब्लिशमेंट हम क्रिएट नहीं कर पाये हैं और उसके लिए हम कह रहे हैं कि इस ट्रांस जेंडर के लिए प्रत्येक जिले में हमको एक कोर्ट देनी है। सरकार कहां से कोर्ट दे देगी, क्या कर देगी तो मेरा यह कहना है कि यह बिल रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बिल है और सरकार यदि नया बिल लेकर आएगी तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए अच्छा होगा और ट्रांस जेंडर के लिए भी अच्छा होगा। हम एक लिटिगेशन में फंस गये।

दूसरी बात यह है कि Belgium writer, Koenraad Elst wrote a book titled "Negationism in India." कोनाल्ड इल्स साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, निगेसनिज्म इन इंडिया, इसका मतलब यह है कि भारतीयों को भूलने की बीमारी है और भूलने की बीमारी यह है कि हम अंग्रेजों के बारे में तो बहुत बातें कहते हैं कि अंग्रेज आ गये, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज कर लिया, यह कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के पहले जो लोग आये, उसको जो हम आत्मसात करने की बात करते हैं तो हम यह नहीं कहते कि आप उसको आत्मसात मत करिये, क्योंकि छठी शताब्दी के पहले यहां इस्लाम नहीं था, यह फैक्ट था। छठी शताब्दी के पहले हिन्दुस्तान में एक भी आदमी मुसलमान नहीं था, इस्लाम नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस्लाम के विरोधी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कहां से हिन्दू कल्चर खत्म हुआ, इसको जानने की बात है।

यदि ट्रांस जेंडर का यह कानून है, जैसे अभी अजय मिश्रा साहब बात करते हुए कह रहे थे कि 1871 में एक कानून अंग्रेज बनाते हैं और उस कानून के आधार पर आज हम इसकी बात करते हैं और इस सदन में ही कई एक ऐसे लोग हैं, जिनको लगता है कि ट्रांस जेंडर के लिए, एल.जे.पी.टी. के लिए हम ही ऐसे पहले सिपाही हैं, जो लड़ने को तैयार होते हैं।

यदि भारत की संस्कृति की बात करेंगे तो नरसिंह अवतार की बात करते हैं, करते हैं न। गणेश की बात करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश जी का आधा जो भाग है, वह पशु का था और आधा पुरुÂष का था तो आप यह समझिये कि हम तो उससे भी आगे थे। यदि हम अपनी संस्कृति की बात करेंगे या नरसिंह अवतार की बात करेंगे, यदि शिखंडी को आप छोड़ दें तो किस तरह का माहौल था। मेरा यह कहना है कि हमारी जो भारतीय सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसमें हमेशा चीजों को, ट्रांस जेंडर हो, ट्रांस जेंडर का भी एक्सट्रीम ट्रांस जेंडर हो, यानि पशु और मनुÂष्य का भी यदि कोई मिलन हो तो हम तो उसको हमेशा से मानते रहे हैं और उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले हम गणेश की ही पूजा करते हैं। नरसिंह अवतार दस अवतारों में एक अवतार है तो मेरा यह कहना है कि 1871 के इस एक्ट के बाद यदि हमको लगता है कि एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, उनको समाज में सम्मान देना है, समाज में सम्मान तो भारत पर जिन लोगों ने अटैक किया, जिन लोगों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने जिस ढंग से कानून बनाकर उनको कुचलने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहला अटैक किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें अपने को कोई बहुत सिम्पेथेटिक होने की आवश्यकता है और यदि आप देखेंगे तो रामायण की यदि कहानी आप देखेंगे तो रामायण के एंड में, जब 14 वर्ष के लिए रामजी वनवास में जाने लगे तो उन्होंने पूरे अयोध्यावासियों को लौटने के लिए कहा कि आप लौट जाइये तो उन्होंने महिलाओं को कहा कि महिलाएं लौट जाइये, पुरुÂषों को कहा कि पुरुÂष लौट जाइये। उसके बाद में कुछ लोग थे, जो कि उनके पीछे जा रहे थे तो उन्हें लगा कि ये मेरे प्रति इतने इमोशनल हैं, मेरे प्रति इतने कमिटेड हैं कि मेरे पीछे जा रहे हैं तो उनको रोक कर उन्होंने कहा कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम किसी की शादी हो, विवाह हो, चीज़ हो, जब तक तुम नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारी सेवा लोग नहीं करेंगे, तब तक उसका काम पूरा नहीं होगा और यह वरदान उन्होंने दिया। इसी के आधार पर किन्नर, हिजड़ा या जिन चीजों की बात चलती है, उन चीजों की बात वहीं से चल रही है।

अभी भारतेन्दु जी ने अस्विन की बात कही। भर्तृहरि भाई हैं, वे शायद कुछ कहें। ...(व्यवधान) मैं इसी पर आ रहा था। आप बोलिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैंने उस दिन कहा था, जब ये सारे अयोध्यावासी गंगा के किनारे पहुंच गए और गंगा पार होने से पहले राम जी ने कहा कि आप वापस चले जाइए। जो नर हैं, जो नारी हैं, आप सब वापस चले जाइए अयोध्या और मैं 14 साल के बाद आकर आपको मिलूंगा। 14 साल के बाद जब वे लौटे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अयोध्यावासी वहीं बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा कि आप सब वापस चले जाइए, तो फिर आप गए क्यों नहीं? ये सारे लोग कहे कि आप नर को बोले, नारी को बोले, हमें तो नहीं बोले। बाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है किन्नर, यह शब्द वहीं से आया है। मैंने इसलिए उस दिन मंत्री जी को कहा कि ट्रांसजेंडर और विपरीतलिंगी जो शब्द आपने कहे हैं, हमारे साहित्य में और बाल्मीकि जी के शब्द में आया है 'किन्नर' और यह शब्द आप अपने हिन्दी ट्रांसलेशन में लाइए। जब आप सरकार की तरफ से लाएंगे तो हम सहज से, आसानी से समझ जाएंगे कि किस वर्ग को आप कह रहे हैं। गंगा किनारे में वे किन्नर थे, शायद राम जी के साथ वे फिर अयोध्या 14 साल के बाद लौटे। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इसी तरह से यदि जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में भी साइकलोजिकल सेक्स की बात कही गई है। मैं यह कह रहा था कि निगेसनिज्म इन इंडिया है, आप भर्तृहरि भाई उस समय उपस्थित नहीं थे, मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा था कि गणेश की कैसे पूजा होती है, नरसिंह अवतार क्यों होता है तो मेरा यह कहना है कि यदि जैन धर्म को भी लेंगे, साइकलोजिकल सेक्स है, इवेन जिसको हम लोग भूल गए हैं, यदि मुगल दरबार की भी बात करेंगे, ओटोमन एम्पायर की भी बात करेंगे तो सभी जगह उनको एक सम्मान की दÂिष्ट से देखा गया

है। गायत्री रेड्डी जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है कि विद रेस्पेक्ट टू सेक्स निगोशिएटिंग हिजरा इन साउथ इंडिया, जो लिखा है उसमें इन सारी चीजों का इन्होंने डिटेल जिक्र किया है। मैं उस किताब को बहुत पढ़ना नहीं चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या है और हमें क्या करने की क्या आवश्यकता है? जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया में एक तरह का कानून होना चाहिए, एक तरह की चीजें होना चाहिए। इवेन फाइनेंस की चीजों में भी, यदि डब्ल्यूटीओ के प्रभाव को आप देखें तो वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन का मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक बाजार है और सभी दुनिया में एक तरह से यह काम करें। इसी कारण से जो आर्टिकल 6 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसका जो आर्टिकल 16 है, वह इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो 1966 में रिकग्नाइज किया गया और जो आर्टिकल 17 है आईसीसीपीआर स्टेट्स का, उसने कहा है कि कोई भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस इस तरह के समाज में नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए गडजा माडा यूनिवर्सिटी, योग्यकर्ता में 6 से 9 नवंबर, 2006 में एक मीटिंग हुई कि पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर के लिए किस तरह से कानून बनना चाहिए, किस तरह की समस्यायें हैं और किस तरह से इसको पूरा किया जा सकता है? योग्यकर्ता प्रिंसिपल, जिसके आधार पर पूरी दुनिया ने अपना कानून बदला और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी उस योग्यकर्ता प्रिंसिपल के आधार पर आगे बढ़ेगी। उसने पहला काम किया कि दि राइट टू यूनिवर्सल इंजवायमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अभी सौगत बाबू भी बात करते हुए बता रहे थे, भारतेन्दु जी बता रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इसमें सभी जगह होता है। इसमें उसने राज्य को कुछ सुझाव दिए कि क्या-क्या चेंजेज हो सकते हैं और उसने कहा कि संविधान में एक अधिकार देना चाहिए। जो आर्टिकल 14 हमारा है, यदि 14, 15, 19, 21 और 53 को यदि एक साथ, 253 को यदि हमें देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे भारत के संविधान में भी ये सारी चीजें हुई हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन उसको इंटरप्रिएट करने का जो तरीका था, वह गलत था।

उसके बाद उसने कहा कि क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो 1871 का एक्ट था, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इनको क्रिमिनल की श्रेणी में लाया गया, भारत की आजादी के बाद इनको चेंज करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी आप गांवों में देखेंगे कि यदि ये गांवों में आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये चोरी करने के लिए तो नही आ गये, चकारी करने के लिए तो नही आ गये, यदि बावरिया जैसा गैंग होता है तो उसमें लगता है कि कहीं यही तो ऐक्टिव नहीं है, उनकी जो क्रिमिनल ऐक्टिविटी है, उसको कैसे अलग करेंगे?

तीसरा सवाल यह था कि उस दिन बैजयंत बाबू ने बताया कि शिक्षा और उनके ऊपर जानकारी, अवेयरनेस एक बड़ा विÂाय है। वह जानकारी करने की आवश्यकता है। प्रह्लाद सिंह पटेल साहब ने रोकते हुए कि हमारे यहां एक एम.एल.ए. भी हो गये हैं, वह एम.ए. पास हैं। मेयरी भी हुई, वह वुमेन कॉलेज में प्रिंसिपल भी हुई, ये सभी उदाहरण हो सकते हैं लेकिन कोई भी ऐसा समाज है, जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जहां शिक्षा और अवेयरनेस उनको हो, यह उनका प्वाइंट था।

जो डिसिजन मेकिंग प्रोसेस है, कहीं न कहीं ट्रांसजैंडर का इंवाल्वमेंट होना चाहिए। Enjoyment of humanity का पहला प्वाइंट था, उसमें जो योगकर्ता प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से पहला प्वाइंट उन्होंने यह कहा। दूसरा उन्होंने rights to equality and non-discrimination के बारे में कहा है। समानता भारत के संविधान में ऑलरेडी है। लेकिन मान लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यह समझ में आता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, उनकें इक्वलिटी नहीं है, आर्टिकल 14, 15 और 19 का वॉयलेशन हो रहा है, 253 इसमें नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है सरकार को कानून में यह सब चीजें करनी चाहिए कि उनकी इक्वलिटी ऑर नॉन-डिस्क्रिमिनेशन, नॉन-डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी बात है। क्योंकि समाज में डेढ़ सौ, दो सौ या चार सौ साल का जो इतिहास है, उसके पहले मैंने आपको बताया कि उनको कितना सम्मान होगा, जिस महाभारत के युद्ध का जिक्र कर रहे हैं। यदि शिखंडी को सारथी बनाकर लाया गया तो उनकी योग्यता और क्षमता पर बहुत विश्वास होगा। क्योंकि लड़ाई भीÂष्म पितामह से हो रही थी। भीÂष्म पितामह महाबली थे, बाहुबली थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। यदि शिखंडी को किसी ने रथ का सारथी बनाया तो केवल दिखाने के लिए तो नहीं बनाया होगा, कोई डर से सारथी नहीं बनाया होगा। मान लीजिए भीÂष्म पितामह अपनी भीÂष्म प्रतिज्ञा छोड़ कर महिला के ऊपर बाण ही चला देते, वह महिला थे या पुरुष थे, वह महिला के ड्रेस में थी, इसका मतलब यह है कि जो हमारे इतिहास में नहीं है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है और पिछले तीन-चार सौ साल से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए यदि कानून में कोई संशोधन की आवश्यकता है तो हमको लगता है कि उस प्रिंसिपल के आधार पर हमें वह करना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : महाभारत में एक और चरित्र बृहन्नाला का वर्णन किया गया है, वह भी एक निर्दिÂष्ट समय के लिए ही ट्रांसजैंडर हुये थे। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : वह अर्जुन थे। वह एक साल तक जब आज्ञातवास में थे। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : वह उत्तर कुमार का सारथी हो कर कौरव सेना का सामना किये थे।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो बात आयी है, मुझे लगता है कि वह यह होग right to recognition before the law. ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उनको इस विÂषय का काफी अध्ययन है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए।

श्री निशिकान्त दुबे : कानून में इन लोगों का रिकॉग्निशन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले एक बड़ा सवाल था कि इनको किस श्रेणी में रखा जाये। ये किस श्रेणी के लायक हैं, कौन-कौन सी चीजें हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड जेंडर माना, उसके हिसाब से सरकार को उसके ऊपर कंसिडर करने की आवश्यकता है कि कानून के नजर में उनका रिकॉग्निशन है या नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : नॉर्थ-कैरोलिना में हाल ही में बना है, शायद मंत्री जी गौर करें, वहां एक आइन अभी हाल ही में बना है और उनको कहा गया है कि यह जो 'थर्ड जेंडर' शब्द का व्यवहार हम कर रहे हैं लेकिन वे अपने जेंडर के ही टॉयलेट में जायेंगे, वे न मेल टॉयलेट में जायेंगे और न फिमेल टॉयलेट में जायेंगे।

HON. CHAIRPERSON : That will be discrimination

श्री निशिकान्त दुबे: सभापति महोदय, उन्होंने चौथा प्वाइंट कहा - राइट टू लाइफ।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Chairman, Sir, only this month, in North Carolina State of United States of America, they discussed as to which toil they should go. They discussed it almost for one week and passed a law that the transgenders and the third genders have to go to the toilet of the gender of the birth.

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, उन्होंने चौथा प्वाइंट कहा है - राइट टू लाइफ जो अभी भारतेन्दु जी बता रहे थे। कई लोग एचआईवी से पीड़ित थे। कई लोगों को काम करने का मौका नहीं है। इसका मतलब है कि वे जिंदगी कैसे जिएंगे। उनका राइट टू लाइफ निश्चित नहीं है। वे खानाबदोश की जिंदगी जिएंगे, घर में रहेंगे, किसी क्वार्टर में रहेंगे, किसी समाज में रहेंगे। राइट टू लाइफ का जो प्रोटैक्शन है यानी ये चीजें उस कानून का पार्ट होना चाहिए जो इस बिल में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। आप नैशनल कमीशन बना रहे हैं। यह केवल है कि हम डंडा मारकर समाज को कैसा करेंगे। हम डंडा मारकर कुछ नहीं कर सकते। यहां रमा जी बैठी हुई हैं। उस वक्त काफी एक्टिव थीं। निर्भया कांड के बाद हम एक और बिल लाए। क्या उस बिल के बाद महिलाओं पर इस तरह की घटनाएं बंद हो गई, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो गया?

498 - हमने एक डाउरी का केस बनाया कि अगर डाउरी का मामला होगा तो किसी को बिना किसी बहस के कर देंगे। आज 498 में महिलाएं ज्यादा जेल में हैं या पुरुÂष ज्यादा जेल में हैं। एक महिला को बचाने के लिए दस महिलाएं जेल में जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन यदि हम कानून के डंडे पर समाज, देश को चलाना चाहते हैं, जिस तरह त्रिवेदी शिवा साहब बिल लेकर आए हैं, हम समाज में अवेयरनैस पैदा नहीं कर पाएंगे, उनको समाज का अंग नहीं बनने देंगे। हम उन्हें समाज का ऐसा अंग मानेंगे जिससे आदमी को डर लगेगा कि यदि इसका हम कुछ नहीं करेंगे तो यह हो जाएगा। लोग उससे मिलना-जुलना बंद कर देंगे। मेरा कहना है कि राइट टू लाइफ के लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

राइट टू प्राइवेसी - यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मान लीजिए कोई इन चीजों को छुपाना चाहता है, प्राइवेसी में रहना चाहता है कि वह ट्रांसजैंडर है, महिला है या पुरुÂष है। उसका प्रोटैक्शन होना चाहिए। मान लीजिए किसी महिला पर अत्याचार होता है तो आज भी प्रैस, समाज को कहा जाता है कि आप उसका नाम नहीं लेंगे, किस महिला के साथ रेप हुआ है, आप इसे छुपाएंगे या मान लीजिए 16 साल से छोटे बच्चे यदि क्राइम करते हैं तो उनका चेहरा समाज के सामने नहीं लाएंगे। मेरा कहना है कि ट्रांसजैंडर में भी राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान निश्चित तौर पर होना चाहिए।

राइट टू ट्रीटमैंट विद ह्युमैनिटी व्हाइल इन डिटैंशन - मान लीजिए कोई पकड़ा गया। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपने कहा कि अमरीका में कानून में संशोधन हो गया कि उनका अलग

टॉयलैट होगा। डिटैंशन में जेल में या महिला वार्ड है या पुरुÂष वार्ड है। कोई तीसरा वार्ड हमने अभी तक पैदा ही नहीं किया। यदि इस कानून में यह होगा तो आपको पूरे जेल मैनुवल को भी चेंज करने की आवश्यकता है। यहां तक कि हाजत में वे थाने में महिला के साथ रहेंगे या पुरुÂष के साथ रहेंगे। यदि हम थर्ड जैंडर की बात करेंगे तो इस तरह का प्रोटैक्शन भी अभी से सोचने की आवश्यकता है।

प्रोटैक्शन फ्रॉम मेडिकल ऐब्यूजेस - आपने जो बात कही कि यदि यह प्रोटैक्शन नहीं होगा तो पूरा लॉ ही डिफीट हो जाएगा। मान लीजिए कोई एचआईवी से पीड़ित है तो उसे कहा जाएगा कि इन लोगों का यही काम है। मेडिकल ऐब्यूज़ की कानून में एक धारा जरूर होनी चाहिए कि जो इस तरह का डिसक्रिमिनेशन करेंगे, वे जेल जाएंगे।

राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड ऐक्सप्रैशन - हमारा संविधान कहता है कि उनको सही बात बोलने का अधिकार होना चाहिए। यह नहीं हो कि हम उसमें कहीं न कहीं डिसक्रिमिनेट करने का प्रयास करें कि यह क्या बोलेगा, इसे कोई जानकारी नहीं है, यह पढ़ा-लिखा नहीं है। जब संविधान बन रहा था तो आपको पता है कि वोटिंग के समय भी कई लोगों की यही सोच थी कि कुछ लोगों को वोट का अधिकार देना चाहिए, कुछ लोगों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। कुछ लोग पढ़े-लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन संविधान ने एक बात कही कि यह समाज एक है, देश एक है, यह देश सबका है। आज हमारी डैमोक्रेसी को देखकर हम कह सकते हैं कि हमारी वॉयब्रैंट डैमोक्रेसी है। संविधान निर्माताओं ने जो भी काम किया, देश के लिए अच्छा काम किया।

चुनाव के माध्यम से डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ने में इसका बड़ा योगदान है। इसमें सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद मेरा कहना है कि दूसरे कंट्रीज में लॉ हैं चाहे वह यूनाइटेड किंगडम हो, नीदरलैंड्स हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, आस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अर्जेन्टीना हो, इस तरह के लॉ का अध्ययन किया जाए, मुझे नहीं पता है कि सरकार ने अध्ययन किया है या नहीं किया? इसका अध्ययन करके हम अपने कानून को बनाएं। इसमें आस्ट्रेलिया के जो दो एक्ट हैं उनको मैं क्वोट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आस्ट्रेलिया सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1984 और सेक्स डिस्क्रीमिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक्ट के सेक्शन 5 (1) वह कह रहा है कि Discrimination on the ground of sexual orientation उसमें जो पहला प्वाइंट है For the purposes of this Act, a person discriminates against another person on the ground of the aggrieved person's sexual orientation if, by reason of the aggrieved person's sexual orientation or a characteristic that is generally imputed to persons who have the same sexual orientation as the aggrieved person, the discriminator treats the aggrieved person less favourably than, in circumstances that are the same or are not materially different, the discriminator treats or would treat a person who has a different sexual orientation. उसके बाद दूसरा सेक्शन कह रहा है Discrimination on the ground of gender identity. जो सेक्शन 5 भी है, सेक्शन 7 (बी) और सेक्शन 7 (डी) और 5 (सी) इस तरह के मुद्दे के आधार पर कि आप इंटर स्टेट सेक्स डिस्क्रीमिनेशन करेंगे या एग्रीवड को परेशान करेंगे या जेंडर आइडेंटिटी के तौर पर करेंगे, आप सभी बिहाइंड द बॉर जाएंगे। मेरा कहना है कि आस्ट्रेलिया का जो कानून है उसको रखने का सवाल है।

माननीय सभापति : निशीकान्त जी, कुछ और माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल जाए तो अच्छा है।

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, सेक्शन 7 और सेक्शन 47 के बारे में हमने पहले ही कह दिया है। ये सारी बातें हमने कह दी हैं। मेरा अंत में यही कहना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन का आर्टिकल 1 और 3 है जिसके बारे में हमने कहा है वह Everyone has the right to life, liberty and security of person. 1996 आर्टिकल 6 को अफर्म करता है Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. ह्यूमन राइट का आर्टिकल 5 कह रहा है कि Article 7 of International Covenant on Civil and Political Rights वह कहता है कि No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. ये सारे हमारा आर्टिकल 12, 14, 15, 19 और 253 और यूएन कन्वेंशन का विÂषय है। आज यह समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, समाज में उनको सम्मान नहीं है, सम्मान की जिन्दगी जीने के लिए वह जद्दोजहद कर रहा है। उसके लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार और भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि सरकार जो भी कानून लेकर आए। इस बिल को वैंजयंत पांडा साहब कभी भी वापस कर लेंगे। यदि सरकार बहुत अच्छे मन से कानून लेकर आती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मेरा कहना है कि इस पर जो चर्चा हो रही है जिसमें सौगत बाबू और महताब बाबू का तर्क था कि सरकार कानून लेकर आ ही रही है तो हम दूसरे बिल को ले। लेकिन कानून के पहले जो चर्चा हो रही है इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं और उनकी जो भावना है, वे चीजों को समझते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस जानकारी को भी आप अपने कानून में इन्कलूड कर लीजिए।

सभापति महोदय, इससे एक अच्छा कानून बने, इस समाज को हम सम्मान की जिंदगी दे पाएं। मुझे लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय के जो नारे हैं- सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेÂष्ठ भारत, इसी माध्यम से सफलीभूत होगा। आगे और भी वक्ता बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द-जय भारत।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति जी, धन्यवाद। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विÂषय पर बोलने का अवसर दिया है। ट्रांसजेंडर बिल 2014 को हमारे मित्र, श्री बैजयंत जे. पांडा जी ने सदन में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में इसे सहमति के साथ पारित किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां एक ओर पश्चिमी बंगाल में महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रो. सौगत राय जी, वरिÂष्ठ नेता होने के बावजूद, उस चुनाव को छोड़कर इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए यहां पर बैठे हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। जो काम ये यू.पी.ए. के 10 वÂर्षों में नहीं कर पाए, आज जब एन.डी.ए. के समय में, मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनका सहयोग करने के लिए यहां बैठे हैं।

सभापति महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज का हर वर्ग और विशेÂषतौर पर इस सदन के सदस्य इसके पक्ष में बोले और बिल में जो और खामियां हैं, उन्हें और उजागर करेंगे, तो सरकार द्वारा जो नया कानून बनाया जा रहा है, उसे और अच्छा बनाने में सहयोग कर पाएंगे।

सभापति महोदय, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस विÂषय पर बड़े विस्तार से विचार रखे। विशेÂषतौर से श्री बैजयंत जे. पांडा जी ने जब इस विधेयक पर बोलने की शुरूआत की, तो इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन जो कमियां थीं, शायद उन पर वे कम बोल पाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसके पक्ष में भी बहुत बोला और कई बार सदन में प्रश्नोत्तर के दौरान भी एल.जी.बी.टी. क्यूर्स पर बात हुई, लेकिन वह लैंस्बियन, गेस, बाईसैक्चुअल और ट्रांसजेंडर इन सबके ऊपर था, परन्तु आज हम सिर्फ ट्रांसजेंडर पर बात करें, जैसा प्रो. सौगत राय जी ने कहा।

महोदय, मैं श्री निशिकांत दुबे जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने शुरूआत में ही इस बिल में जो खामियां हैं, उन्हें उजागर किया, उन पर प्रकाश डाला और माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी उन कमियों का लाए, ताकि जब सरकार कानून बनाने के लिए इसे सदन में लेकर आए, तो जो कमियां राज्य सभा द्वारा पारित किए गए निजी विधेयक में रह गई हों, कम से कम उन्हें भी यहां दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, विगत 68 वÂर्षों से लगातार जिस वर्ग के हित में कोई खड़ा नहीं हुआ, उस पर जब आज मंत्री जी यहां कह रहे थे कि हमारी सरकार ने प्रयास किया है और जल्द ही इस पर वे कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं अपनी और सदन की ओर से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में उन्होंने बहुत तेजी के साथ, सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह काम किया। माननीय मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है जो चर्चा हम सदन में कर रहे हैं, उन पर भी विचार करेंगे और यदि अभी भी कोई कमियां रह गई होंगी, तो उन्हें भी दूर करेंगे।

सभापति महोदय, जब से माननीय मंत्री जी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भार ग्रहण किया है, तब से ही हमें पता चला कि सोश्यल जस्टिस एंड एम्पॉवरमेंट नाम का भी कोई मंत्रालय है। आपने सांसदों के क्षेत्रों में जाकर हजारों हजार लोगों को वह सहायता उपलब्ध कराई है। देश में जो अपाहिज लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसके अंग नहीं हैं, उन्हें आपने सहायता उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

महोदय, समाज के हित में इस मंत्रालय का दिखना बहुत आवश्यक है। अगर हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करते हैं और आपके मंत्रालय के माध्यम से वह दिखता नहीं, तो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है, पहले बंट जाता होगा, लेकिन पता नहीं चलता कि किस को बंटा। क्या सही लोगों को बंटा? आज आपके माध्यम से सांसद को पता चलता है कि अलैमको नाम का आपका एक विभाग है और ऑर्गनाइजेशन है, जो साथ में जाकर, नीचे जाकर पूरा सर्वे करता है कि कौन 40 परसेंट से ज्यादा हैंडीकैप्ड है तथा उसे किस चीज की जरूरत है और उसे वह सहायता आपका डिपार्टमेंट देता है।

सभापति महोदय, मुझे लगता है, तीसरी बार सांसद होने के बाद, कभी आज तक किसी पूर्व के मंत्री ने इस तरह से अपनी ओर से वह इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस प्रकार से कि आपने दिखाया और एक-एक सांसद को कहा कि अपने-अपने लोक सभा क्षेत्र में आप उन लोगों को सहायता दीजिए, जिन्हें इसकी जरूरत है। यह आपने किया है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण

विश्वास है कि जब यह बिल आयेगा, तो जो बातें हमने यहां रखीं, मैं ट्रांसजेंडर विÂषय पर आने वाला हूं, तो आप उन कमियों को भी पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, आखिरकार हम इनको अस्वीकार करना कब से शुरू करते हैं? क्या सरकार अस्वीकार करती है? क्या कानून अस्वीकार करता है, समाज करता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई अस्वीकार करता है, तो वह उसका अपना परिवार करता है। कानून में कहां लिखा है कि आप उसे सड़क पर छोड़ दीजिए। आप उसे मत पढ़ाइये, शिक्षा मत दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मत दीजिए या रोजगार के अवसर मत दीजिए। क्या कानून में ऐसा कहीं लिखा है? परिवार मजबूर हो कर ऐसा क्यों करता है? क्या समाज उसे मजबूर करता है? आखिर जिसका उदाहरण निशिकांत जी ने दिया और उस पर कुछ प्रकाश भर्तृहरि महताब जी ने भी डाला कि अगर रामायण काल से ,भगवान राम के बनवास के समय से जो आशीर्वाद किसी पुरूÂष और महिला को भी नहीं मिल पाया, वह किन्नर समाज को मिला। भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें मिला कि किसी के भी खुशी के समय तुम्हारे आशीर्वाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। जिनके ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद है और जिनके आशीर्वाद से दूसरे को खुशी मिलती है, आज वह इस समाज में नाखुश क्यो हैं? इसके लिए किसे दोÂषी मानना चाहिए? क्या इसके लिए कानून दोÂषी है, समाज दोÂषी है या परिवार दोÂषी हैं? उसमें हमें किस तरह का सुधार करना चाहिए।

यह सच्चाई है कि किसी के भी परिवार में अगर किन्नर समाज, जिसे हिजड़ा भी कहते हैं, के लोग भी कहते हैं, वे आते हैं और किसी की खुशी में शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उसका विरोध करते होंगे। अधिकतर लोग उनका आशीर्वाद लेने में विश्वास रखते हैं। हमारे जैसे परिवारों में बहुत बार यह होता है कि अगर किसी को शुगन के तौर पर कुछ देना है तो उससे दुगुना, उससे ज्यादा बढ़-चढ़कर हमें इन लोगों को देना चाहिए क्योंकि समाज ने इन्हें कहीं न कहीं नकारा है। इनके परिवार ने इन्हें कहीं न कहीं नकारा है। हम क्यों न अपनी खुशी में इन्हें भी हिस्सेदार बनायें? न केवल इनका आशीर्वाद लेने के लिए, बल्कि हम अपनी ओर से इनका कोई सहयोग कर पायें और समाज का एक अंग मानकर चलें, तो वैसा प्रयास हमारे जैसे परिवारों का भी रहता है। लेकिन आखिरकार इसकी आवश्यकता यहां पर क्यों बनी? आज यह भाÂषण देने से पहले दुÂष्यंत सिंह जी हमारे साथ बैठे थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिरकार इतने वÂर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत की सरकारें इनके पक्ष में क्यों नहीं कर पायीं? आज हमारा दायित्व क्या बनता है और दुनिया भर के कानून क्या हैं, जो इनके पक्ष में खड़े होते हैं?

सभापति महोदय, मैं कानून पर बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आज उनकी हालत क्या है, इनकी संख्या क्या है? सदन के अलग-अलग वक्ताओं ने उनके अलग-अलग आंकड़े दिये। किसी ने 25 लाख कहा, किसी ने 50 लाख कहा, तो किसी ने एक करोड़ तक पहुंचा दिया। सरकार के सामने ये आंकड़े भी नहीं हैं कि इसके असली आंकड़े क्या हैं?

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर की एक्चुअल फिगर क्या है? अगर वह राज्यवार बता पायेंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अलग-अलग राज्यों ने उस पर क्या-क्या काम किये हैं, अगर वे भी सदन को बता पायें, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि किन-किन सरकारों ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। एक उदाहरण यहीं पर सदन के सदस्य ने दिया कि मध्य प्रदेश में हमारे यहां शबनम मौसी नाम से एक महिला, पुरूÂष या ट्रांसजेंडर, क्योंकि मौसी कहा तो फटाफट महिला साथ में चलता है। उन्हें मौसी क्यों कहा गया? वह विधायक क्यों बनी? आखिर जब हम विधायक या सांसद बनते समय फार्म भरते हैं तो लिखा जाता है कि मेल-फीमेल, पुरुÂष-महिला, तो आखिर उन्होंने उसमें क्या भरा होगा? उस समय के इलैक्शन कमिश्नर ने किस तरह से निर्णय लिया होगा कि यह पुरुÂष है या महिला है? क्या उनके गुरू के कहने पर कि उसे शबनम नाम दे दिया और शबनम मौसी कहा, तो यह कहने से क्या वह महिला हो गयी? अगर वह जन्म से पुरुÂष की श्रेणी में थी और किसी गुरू ने उसे महिला का नाम दे दिया और कल को वह पुरुÂष का शौचालय इस्तेमाल करे या महिला का करे, तो यह भी बहुत बड़ा संकट है। इस पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। केवल नाम देने से ही नहीं, बल्कि उसके पहनावे, उसके आवरण, उसके मेकअप, उसके बाल, उसके चाल-ढाल, रंग-ढंग से यह भी निर्भर करेगा कि वह किस शैचालय का इस्तेमाल करेगी।

लेकिन खुशी की बात यह है कि इन सब समस्याओं के बावजूद मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने एक ट्रांस जेंडर को विधायक बनाकर विधान सभा में भेजा और न केवल अपने अधिकारियों के लिए बल्कि पूरे समाज में लड़ने का मौका दिया, उसे महापौर भी बनाया। जो माननीय थावरचंद गहलोत जी ने कहा, इसके लिए मैं बहुत बधाई मध्य प्रदेश के लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने इन लोगों को आगे आने का अवसर दिया। छत्तीसगढ़ में भी महापौर बनने का अवसर दिया और गोरखपुर में भी।

मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण समाज में दिए हैं, जहां उनकी स्वीकार्यता है। उन्हें स्वीकार किया गया है, न केवल रोजगार के लिए बल्कि अपना प्रतिनिधि चुना गया है। मुझे लगता है जब अपना समाज या वोटर प्रतिनिधि चुनता है, तो उस पर दायित्व छोड़ता है, विश्वास रखता है। शायद यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेÂषता है। शायद इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। महिलाओं के लिए अवसर कहते हैं कि कोटा होना चाहिए, लेकिन कोटे से पहले 15वीं लोकसभा में स्पीकर महिला बनीं। 16वीं लोकसभा में भी स्पीकर महिला बनीं। 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता, सुÂषमा स्वराज जी महिला थीं। इस बार हालांकि नेता तो सोनिया जी हैं, लेकिन विपक्ष के नेता खड़गे जी बने। मोदी जी की सरकार बनी, 25 प्रतिशत महिलाएं पहले कैबिनेट में थी। समाज ने तो मौका दिया है, जिनके लिए हम आरक्षण की मांग करते रहे।

इस बिल में आरक्षण की अलग-अलग सुविधाओं की बात कही, मुझे लगता है इस पर भी विचार करना चाहिए। हरियाणा में हमने जाट आंदोलन देखा जिसने वहां बहुत आक्रामक रूप लिया। गुजरात में पटेल आरक्षण ने आक्रामक रूप लिया। पहले जिन्हें आरक्षण मिला, आज तक उनको लाभ नहीं मिल पाया केवल क्रीमी लेयर ही उसका लाभ उठाती रही। क्या हम पहले के लोगों को आरक्षण दे पाए? आज तक क्या सबको दे पाए हैं? उनको तो नहीं मिल पाया और हम आगे देने की बात सोच रहे हैं। क्या उन सब पहलुओं पर जाने से पहले एक नई कैटेगिरी जोड़ दें? राइट टु एजुकेशन बिल ले आए। यूपीए सरकार ने यहां पारित किया था लेकिन अधिकतर कांग्रेस की सरकारों ने आज तक लागू नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया, लागू करने की बात तो बहुत दूर है। केवल एक प्लेइंग टू द गैलरी, औपचारिक रूप दिखाना कि हम इसके पक्ष में हैं, सबके पक्ष में हैं, सबके पक्ष में हैं। क्या केवल यह दिखाने से देश चल पाएगा? क्या हम सही मायने में लोगों को उनके अधिकार दे पाएंगे?

कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इसे ओबीसी कैटेगिरी में कर लो। अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा लेकिन इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा? क्या वह आरक्षण लेने के लिए तैयार हैं? अगर है तो अलग बात है लेकिन वह कहेगा मैं तो पहले एससी में था, एसटी में था या किसी और वर्ग में था तो अब ओबीसी में क्यों डाल दिया? क्या हम यह उसके ऊपर थोपना चाहते हैं या उन्हें सुविधा देना चाहते हैं या अलग से लाभ देना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है?

मुझे लगता है कि सरकार को केवल इसलिए नहीं कि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो उसे लागू करना हमारे लिए मजबूरी हो गई। मुझे लगता है कि इस बारे में अध्ययन और विचार बहुत गंभीरता के साथ गहराई तक करना चाहिए ताकि हम जल्दबाजी में कुछ गलत न कर जाएं। निशिकांत जी ने बिलकुल सही कहा था। मैं 15वीं लोक सभा का सदस्य था और मेरे घर के बाहर से हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए जाते थे जब निर्भया कांड हुआ। उन सर्दियों के दिनों में जिस तरह से पानी की बौछारे प्रदर्शनकारियों पर फैंकी जाती थीं और लड़कियां तक टस से मस नहीं होती थीं क्योंकि सभी चाहते थे कि इस देश में महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित रक्षा जाए। हम सबने कानून बनाने में देरी नहीं की। सदन एक मत था। बहुत सारे लोग सत्ता पक्ष में थे और मेघवाल जी, निशिकांत जी, दुÂष्यंत सिंह जी जैसे लोग विपक्ष में थे। महताब जी तो पहले भी विपक्ष में थे और आज भी विपक्ष में ही हैं लेकिन जब ऐसा विÂषय आता है और समाज हित की बात आती है तो सभी उसके पक्ष में हो जाते हैं।

मुझे लगता है कि निर्भया के समय भी आपने विरोध नहीं किया था लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी को अपने मन से पूछना चाहिए कि कानून बनाने वालों ने तो कोई देरी नहीं की, क्या न्याय देने वालों की तरफ से तो कोई देरी नहीं हो गई। कहां कमी रही है? क्या हमारा काम केवल कानून बनाने तक सीमित हो गया और कुछ का काम केवल जजमेंट देने तक सीमित हो गया लेकिन इसकी प्रैक्टीकल प्रोब्लम्स क्या हैं यह देखने की बात है? इसका इम्प्लिमेंटेशन कैसे हो, यह देखना है। कोई इसके विरोध में नहीं है। मैं जब विरोध के लिए बीच में उठकर खड़ा हुआ था कि आपने इसे " विपरीत लिंगी" कैसे कह दिया। मैं माननीय मंत्री जी से क्षमा चाहता हूं। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई विचार नहीं था, न मेरा जय पांडा जी के खिलाफ कुछ है। जिस तरह से राज्यसभा में आया, उसी तरह से इस सदन में आया है लेकिन मुझे लगता था कि जब हम किसी लिंग की बात कहते हैं पहले तो यह तय ही नहीं हो पाता था कि पुरुÂष की बात कर रहे हैं या महिला की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई कि विपरीत लिंगी है या उभय लिंगी है। केवल शब्दों में फंसने की बजाय सरकार पर छोड़ देना चाहिए। सदन को सोचना है कि आखिरकार आज ट्रांसजेंडर की क्या हालत है। क्या उन्हें शिक्षा अच्छी मिल पा रही है? अगर आप रिकार्ड निकाल कर देखें तो एक वक्ता ने कहा कि शिक्षा नहीं मिल पा रही, लेकिन दूसरे वक्ता ने कहा कि मेरे यहां तो एमए हैं, मेरे यहां तो प्रोफेसर हैं, मेरे यहां तो मेयर बन गए, मेरे यहां तो एमएलए बन गए। क्या हम एक-दो उदाहरण दे कर पूरे ट्रांसजेंडर के बारे में कहेंगे कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल गई। हमें यह नहीं पता कि उनकी कितनी संख्या है, उनमें शिक्षा का स्तर कितना है, कितने पढ़े-लिखे हैं कितने अशिक्षित हैं। कितनों के पास रोजगार हैं और कितने बेरोजगार हैं। अगर रोजगार है तो किस प्रकार का रोजगार है। क्या वे शादी वगैरह में नाचने वाला है, बेटा होने पर खुशी मनाने वाला है या रेड लाइट पर खड़े हो कर वह भीख मांगने का काम करे या थोड़ी सी शाम हो जाए। मुझे लगता है कि हाईवेज़ पर देखा जाता है कि जींस शर्ट पहन कर या महिलाओं के कपड़े पहनकर इस वर्ग के लोग खड़े होते हैं जिन्हें सैक्स वर्कर्स का नाम दिया गया है। क्या इन्हें मजबूर नहीं किया गया है कि इन्हें सैक्स वर्कर बनाया जाए? क्या इन्हें मजबूर नहीं किया जा रहा है कि इनसे भीख मंगवाई जाए? क्या इन्हें मजबूर नहीं किया जा रहा है कि खुशी के मौके पर आकर नाचे गाएं? क्या इन्हें शिक्षा का अधिकार न दिया जाए जो राइट टू एजुकेशन हमने बनाया है? जब हम संविधान की बात करते हैं।

If I have to come to the Bill, the Bill seeks to provide the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons and for their welfare to be undertaken by the State. A transgender is a person whose sense of gender does not match with the gender assigned to that person at all.

The guiding principle of the Bill, as per the Bill, will be the respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons, non-discrimination, equality of opportunity, full and effective participation and inclusion in society and respect for difference and acceptance of transgender persons as part of human diversity and humanity.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जब ट्रांसजेंडर लोग इनको बोलते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि क्या अनुराग जी हम लोगों के लिए आईपीएल करवा सकते हैं? यह आपके लिए अभी-अभी एक सुझाव था।

माननीय सभापति : आप उन्हीं से मिलने गये थे?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं मिलने नहीं गया था। जब मैं गया था, तो वे उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने अनुराग जी को बोलते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अनुराग जी को बोल देना कि वे हमारा आईपीएल करवा सकते हैं क्या, यह एक सुझाव था इनके लिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मुझे लगता है कि जो हमें इस वर्ग के लिए करना हो, हमें वह करना चाहिए। चाहे वे कबड्डी खेलना चाहें, क्रिकेट खेलना चाहें, फुटबॉल खेलना चाहें, जो भी करना होगा हम इनके लिए करेंगे, लेकिन हम इनको अवसर देंगे, हम इन्हें अवसरों से दूर नहीं रखेंगे। यही हमारी प्रतिबद्धता है इनके प्रति है कि इनको आज तक मौका नहीं मिल पाया, तो हम सब इकट्ठे इनके प्रयास करें ताकि इनको अवसर मिल पाए।

Sir, if a transgender person is insulted and if that person goes to police and no case is registered, if they do not have any recourse to justice through the police or the law and if they are sidelined and treated as untouchables, then this denial of social justice leads to the denial of economic and political justice. They suffer from poor access to education, legal aid, employment, even homelessness and lack of social acceptance. They are often pushed to the periphery as a social outcaste and many may end up in begging and dancing, and this, by all means, as human trafficking, as I have earlier said.

इस सदन में पहले जो कहा गया कि हम कानून तो लाएं, लेकिन उसके क्लॉज़ 10, 13 और 21 पर जब आरक्षण और बाकी सुविधाओं की बात करते हैं कि वे प्रैक्टिकल इन नेचर हैं या नहीं।

माननीय सभापति : क्या आप कंक्लूड करना चाहेंगे? अभी दो मिनट बाकी हैं, वे इस विÂषय पर थोड़ा बोल लेंगे या आप ही कंटीन्यू करें, आपकी जैसी इच्छा हो।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, अभी तो पाँच-छः पेज बचे हुए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : अनुराग जी ओवर-नाइट बैट्समैन हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, आप इसे अगले हफ्ते के लिए रख लीजिए क्योंकि अभी मुझे 15-20 मिनट तक बोलना है, कम से कम आधा घंटा अभी मैं और बोल सकता हूँ।

माननीय सभापति : ठीक है, आप जारी रखिए। इस विÂषय पर 13 मई को फिर से चर्चा होगी, आप ही इसे कंटीन्यू करेंगे। अभी आप एक मिनट तक बोल सकते हैं, बाकी अगली बार कंटीन्यू करेंगे।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: The Preamble to the Constitution mandates justice, social, economic and political equality of status. Thus, the first and the foremost right that they deserve is the right to equality under article 14.

-

18.00 hours

Article 15 speaks about the prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 21 ensures the right to privacy and personal dignity to all the citizens. Article 23 prohibits trafficking in human beings as beggars and other similar forms of forced labour and any contravention of these provisions shall be an offence punishable in accordance with the law.

The Constitution of India provides for the Fundamental Right to Equality and tolerates no discrimination on the grounds of sex, caste, creed or religion.

HON. CHAIRPERSON: Anurag ji, you can continue your speech next time. The House adjourned to meet on Monday, the 2nd May, 2016 at 1100 am.

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday,

May 2, 2016/ Vaisakha 12, 1938 (Saka)